

## कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946—220003 ई.मेल : efwkum-forest-uk@nic.in.

हल्द्वानी, दिनांक, जुलाई, ঽ 🕻

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद— नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में वहने वाली दाबका नदी के वन स्वीकृति (F.C.) पुर्नप्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गई EDS आपत्ति के संबंध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8-61/1999-F.C. (Pt. V) दिनांक 10 मई 2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से आपत्ति लगायी गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अपनी पत्र संख्या-270/12-1 दिनांक 15.07.2022 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम

से उक्त आपित्तियों का उत्तरालेख इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया, जो कि निम्न प्रकार है:	
आपि्ति	प्रतिउत्तर
I. As per DSS analysis, out of total area of 115.60 ha (Software estimated), 2 ha falls under MDF, 2 ha under OF and remaining 111 ha as non-wooded category. Therefore, in light of observation made in DSS report, submission made by the State need justification to support their claim of area having vegetation density of 0.4 with no project affected trees. Discrepancy in the area may also be commented upon by the state.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित खनन क्षेत्र 112.00 हैं0 लिया गया है जिसका मानचित्र मय कॉर्डिनेट संलग्न किया गया है। उक्त क्षेत्र पूर्व में भी लिया गया था जिस पर वर्तमान में खनन किया जा रहा है। प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र के दोनों ओर आरक्षित वन क्षेत्र है जबिक उपखनिज चुगान क्षेत्र वृक्ष विहीन है।
II. Corbett Tiger Reserve is located at a distance of approximately 0.9 km from the boundary of the area proposed for diversion. As per the direction contained in the Supreme Court order dated 04.08.2006, mining within 1 km distance from the boundary of any PAs is prohibited. Therefore, State Government needs to furnish their considered opinion on the proposal vis-à-vis direction contained in Hon'ble Supreme Court order dated 04.08.2006.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि कॉर्वेट राष्ट्रीय उद्यान से उपखनिज चुगान क्षेत्र की हवाई दूरी निकटतम 11.02 किमी० एवं कॉर्वेट टाईगर रिजर्व से निकटतम दूरी 6.6 किमी० आंकलित की गई है जिसको वन विभाग उत्तराखण्ड की आई०टी० सेल देहरादून से प्रमाणित कराया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04 अगस्त 2006 में निहित निर्देश के अनुसार पी०ए० की सीमा से 01 किमी० से अधिक दूरी है।
III. Detail of compensatory afforestation, in lieu of approval accorded for 233 ha of forest land, undertaken in the past, its survival percentage, year wise detail of expenditure proposed and incurred needs to be submitted by the State along with soft copies of KML/shape files of all sites.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत कोसी, दावका नदी प्रस्ताव के स्वीकृत उप खनिज चुगान प्रस्ताव के सापेक्ष कराये गये क्षतिपूरक वनीकरण कार्यों का विस्तृत विवरण एवं उनकी KML File (मय सी.डी.), जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
IV. Examination of the Mining Scheme submitted a	L
a Proposal has been submitted only for 112.0 ha while	

a. Proposal has been submitted only for 112.0 ha while the Mining Scheme has been approved for an area of 233 ha. The discrepancy needs to be rectified by the State.

योजना पूर्व में स्वीकृत वन स्वीकृति हेतु बनाई गई है जो मई 2023 तक के लिए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय देहरादून से स्वीकृत है। वर्तमान वन स्वीकृति प्रस्ताव 112.00 है0 हेतु प्रस्तावित है जो कि पूर्व में पंवलगढ़ संरक्षित रिजर्व बनाये जाने के कारण अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून की पत्र सं0-875/1 जी0-2756/दिनांक 09.10.2012 द्वारा 223.00 है0 से 112.00 है0 क्षेत्रफल सूचित किया गया था, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

b. Chapter – 12 of Mining Plan mentions that sand soil will be removed during mining operations an precautionary measure will be undertaken for i storage. However, Details of measures and are earmarked for its storage have not been addressed in the Mining Plan.	d Sandy soil का निष्पादन प्रस्ताव के साथ संलग्न खनन । । । योजना के अध्याय-05 के अन्तर्गत Proposed Method । Of Mining में उल्लेखित किया गया है किन्तु वर्तमान में
c. Land use/Component wise breakup of the are proposed for diversion i.e. area under mining infrastructure, approach road, Storage of top soi etc. has not been mentioned neither in the propose nor in the Mining Plan. The same needs to b furnished by the State.	tool Manual Method) से किया जाता है।    प्रभागीय वनधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन   हेतु उपयोगी क्षेत्र 112.00 हैं0 है। सतही मृदा (Top Soil)   व Over Burden के भण्डारण हेतु   Waste Dump का क्षेत्रफल 1.066 हैं0 है। वाहन के आवागमन हेतु Approach Road अथवा आधारभूत संरचना (Infrastructure) के लिए 1.832 हैं0 वन भूमि का उपयोग किये जाने का प्राविधान है जिसे अनुमोदित
d. Proposal for renewal of approval under FC has bee submitted for a period of 10 years while Mining Plan/ Mining Scheme have been approved for period of 3 years (Pg 142/c).	g F.C. (वन स्वीकृति) की निधारित तिथि 14 फरवरा 2023 तक ही स्वीकृत है, जिस कारण खनन योजना F.C. (वन स्वीकृति) के अनुसार 03 वर्षों के लिए ही प्राप्त हुई। आगामी 10 वर्षों हेतु पुर्नप्रस्ताव आवेदित किया जा रहा है, जिस हेतु आगामी वर्षों के लिए खनन योजना बनायी जानी प्रस्तावित है।
e. Mining Plan essentially has to be prepared in consonance with the provisions of the relevan mineral concession rules and accordingly diversion proposal should be formulated by the State. Mining Plan, if any, prepared and approved for the entire period of 10 years may be submitted by the state providing the full details of the land use, mining	t आगामा वषा के लिए खनन याजना में बिन्दु का समापरा कर लिया जायेगा।
area, its reclamation, etc.  V. Status of District Survey Report, if any, prepared by the state Government in Nainital District in accordance with the Guidelines on Sustainable Sand Mining – 2019 issued by the Ministry vis-à vis recommendation made thereof on the mining of RBM proposed in the extant proposal.	व पत्र के साथ सलग है।
VI. The State Government may also submit it comments whether the report prepared by the Indian Institute of Soil and Water Conservation i in conformity with the Sustainable Sand Mining Guidelines 2019 or otherwise.	ह भारतीय मृदी एवं जल संरक्षण संस्था द्वारा प्रस्तुत का गई ह रिपोर्ट Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के अनुरूप है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
VII. Estimation of cost benefit ratio does not account for all parameters specified in the Guidelines dated 1.08.2017 issued by the Ministry, incorporated a Annexure –III of Handbook of Fores (Conservation) Act, 1980. Therefore, cost benefit analysis needs to be re-visited by the State to ensure accounting of all specified parameters using appropriate techno-economic tools.	तागत लाभ विश्लेषण प्रभागाय वनाधिकारा के पत्र के साथ । संलग्न है।
VIII. As per Supreme Court order dated 28.03,2008 revenue earned from the sale of RBM should be utilized for conservation work. Detail of amount earmarked and incurred on conservation may be provided on annual basis for the last decade.	। आरंगबीं एमं की विक्री से अर्जित राजस्व को विभिन्न

provided on annual basis for the last decade.

IX. Detail of money deposited in SPV made in the previous approval and SMC works done so far may also be provided.

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व स्वीकृत वन स्वीकृति की एस०पी०वी० की धनराशि का विवरण व SMC कार्यों का विवरण प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नकों के सादर सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। संलग्न— उपरोक्तानुसार।

> भवदाय, जिए चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त,,/उत्तराख्रण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 124 / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर को उनके पत्रांक—270/12—1 दिनांक 15.07.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> (दीप चन्द्र आर्य) वन संरक्षक

पश्चिमी वृत्त्, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

कोसी, दाबका नदी प्रस्ताव के स्वीकृत उप खिनज चुगान प्रस्ताव के सापेक्ष कराये गये क्षतिपूरक

वनीकरण कार्यों का विस्तृत विवरण एवं उनकी

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल) पत्रांक २७० / २८-। कायंबिक दन संग्लक पहिन्दी द्त मैनीनाल. सेवा में. इंबोक्ट्य हंट..280..... वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड जनपद- नैनीताल में तराई मश्चिमी कन प्रमाम, यामनमञ्जू के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली दाबका नदी के वन स्वीकृति (F.C.) पुर्नप्रस्ताव FP/UK/MIN/147953/2021 में भारत सरकार द्वारा विषयः लगाई गई EDS आपत्ति के संबंध में। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की File No-8-61/1999-F.C. (Pt. V) दिनांक 10 मई संदर्भः 2022 | उपरोक्त विषराक संदर्भित पत्र द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने विषयगत प्रस्ताव पर 9 विन्दुओं की आपत्ति लगाई गयी थी, उक्त आपत्तियों के संबंध में याचक विमाग को लिखा गया, याचक विभाग द्वारा .महोदय, आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रत्युत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। याचक विमाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार प्रत्युत्तर आख्या निम्न प्रकार है:-प्रतिउत्तर चक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित खनन क्षेत्र 112.00 है0 आपत्ति 2 / लिया गया है जिसका मानचित्र मय कॉर्डिनेट As per DSS analysis, out of total area of 115.60 ha संलग्न किया गया है। उक्त क्षेत्र पूर्व मे भी लिया (Software estimated), 2 ha falls under MDF, 2 ha ग्या था जिस पर वर्तमान में खनन किया जा रहा under OF and remaining 111 ha as non-wooded category. Therefore, in light of observation made in है। प्रस्तावित उपखनिज चुगान क्षेत्र के दोनों ओर DSS report, submission made by the State need आरक्षित वन क्षेत्र है जबकि उपखनिज चुगान क्षेत्र justification to support their claim of area having vegetation density of 0.4 with no project affected वृक्ष विहीन है। trees. Discrepancy in the area may also be कॉर्वेट राष्ट्रीय उद्यान से उपखनिज चुगान क्षेत्र की commented upon by the state. हवाई दूरी निकटतम 11.02 किमी० एवं कॉर्बेट II. Corbett Tiger Reserve is located at a distance of approximately 0.9 km from the boundary of the area टाईगर रिजर्व से निकटतम दूरी 6.6 किमी0 proposed for diversion. As per the direction आंकलित की गई है जिसकों वन विनाग contained in the Supreme Court order dated उत्तराखण्ड की आईoटीo सेल देहरादून से प्रमाणित 04.08.2006, mining within 1 km distance from the boundary of any PAs is prohibited. Therefore, State कराया गया है। (संलग्नक-1) मा0-सर्वोच्च-न्यायालय-के आदेश-दिनांक--04 Government needs to furnish their considered अगस्त 2006 में निहित निर्देश के अनुसार पी०ए० opinion on the proposal vis-à-vis direction contained in Hon'ble Supreme Court order dated 04.08.2005. की सीमा से 01 किमी0 से अधिक दूरी है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत

III. Detail of compensatory afforestation, in lieu of approval accorded for 233 ha of forest land, undertaken in the past, its survival percentage, year wise detail of expenditure proposed and incurred needs to be submitted by the State along with soft copies of KML/shape files of all sites.

दिनाक .....

KML File (मय सी.डी.) संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-02) कायनिय यन संग्छक विश्वमी वृहा

IV. Examination of the Mining Scheme submitted along with the proposal revealed the following: खनन योजना पूर्व में स्वीकृत वन स्वीकृति हेतु a. Proposal has been submitted only for 112.0 ha while बनाई गई है जो मई 2023 तक के लिए निदेशक, the Mining Scheme has been approved for an area of भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय 233 ha. The discrepancy needs to be rectified by the देहरादून से स्वीकृत है। वर्तमान वन स्वीकृति प्रस्ताव 112.00 है0 हेतु प्रस्तावित है जो कि पूर्व में पंवलगढ़ संरक्षित रिजर्वे बनाये जाने के कारण अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन देहरादून की पत्र जी0-2756 / दिनांक 09.10.2012 द्वारा 223.00 है0 से 112.00 है0 क्षेत्रफल सूचित किया गया था। (संलग्नक-03) Sandy soil का निष्पादन प्रस्ताव के साथ संलग्न b. Chapter - 12 of Mining Plan mentions that sandy खनन योजना के अध्याय-05 के अन्तर्गत soil will be removed during mining operations and Proposed Method Of Mining में उल्लेखित किया precautionary measure will be undertaken for its गया है किन्तु वर्तमान में आर0बी0एम0 उपखनिज storage. However. Details of measures and area चुगान का कार्य एफं०सी० में दी गई शर्तो के earmarked for its storage have not been addressed in अनुसार ही श्रमिकों के माध्यम (By Hand tool the Mining Plan. Manual Method) से किया जाता है। खनन हेतु उपयोगी क्षेत्र 112.00 है0 है। सतही मृदा c. Land use/Component wise breakup of the area (Top Soil) व Over Burden के भण्डारण हेतु proposed for diversion i.e. area under mining, Waste Dump का क्षेत्रफल 1.066 है0 है। वाहन के infrastructure, approach road, Storage of top soil, आवागमन हेतु Approach Road अथवा आधारभूत etc. has not been mentioned neither in the proposal संरचना (Infrastructure) के लिए 1.832 है0 वन nor in the Mining Plan. The same needs to be भूमि का उपयोग किये जाने का प्राविधान है जिसे furnished by the State. अनुमोदित खनन योजना की प्लेट सं0-06 व 07 में दर्शाया गया है। पूर्व में F.C. (वन स्वीकृति) की निर्घारित तिथि 14 d. Proposal for renewal of approval under FC has been फरवरी 2023 तक ही स्वीकृत है, जिस कारण submitted for a period of 10 years while Mining खनन योजना F.C. (वन स्वीकृति) के अनुसार 03 Plan/ Mining Scheme have been approved for a वर्षों के लिए ही प्राप्त हुई। आगामी 10 वर्षो हेतु period of 3 years (Pg 142/c). पुर्नप्रस्ताव आवेदित किया जा रहा है, जिस हेतु आगामी वर्षों के लिए खनन योजना बनायी जानी प्रस्तावित है। आगामी वर्षों के लिए खनन योजना में बिन्दु का e. Mining Plan essentially has to be prepared in consonance with the provisions of the relevant समावेश कर लिया जायेगा। mineral concession rules and accordingly diversion proposal should be formulated by the State. Mining Plan, if any, prepared and approved for the entire period of 10 years may be submitted by the state providing the full details of the land use, mining area, its reclamation, etc. नैनीताल जिले की खनन योजना संलग्न की जा V. Status of District Survey Report, if any, prepared by the state Government in Nainital District in रही है। (संलग्नक-04) accordance with the Guidelines on Sustainable Sand Mining - 2019 issued by the Ministry vis-àvis recommendation made thereof on the mining of RBM proposed in the extant proposal. भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्था द्वारा प्रस्तुत VI. The State Government may also submit its की गई रिपोर्ट Sustainable Sand Mining comments whether the report prepared by the Guidelines 2016 के अनुरूप है, उनके द्वारा दिया Indian Institute of Soil and Water Conservation is in conformity with the Sustainable Sand Mining गया पत्र संलग्न हैं। (संलग्नक-05) Guidelines 2019 or otherwise.

VII. Estimation of cost benefit ratio does not account for all parameters specified in the Guidelines dated 1.08.2017 issued by the Ministry, incorporated at Annexure –III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980. Therefore, cost benefit analysis needs to be re-visited by the State to ensure accounting of all specified parameters using appropriate techno-economic tools.

VIII. As per Supreme Court order dated 28.03.2008,

लागत लाभ अनुपात का अनुमान सम्मिलित किया गया है। लागत लाभ विश्लेषण संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक—06)

VIII. As per Supreme Court order dated 28.03.2008, revenue earned from the sale of RBM should be utilized for conservation work. Detail of amount earmarked and incurred on conservation may be provided on annual basis for the last decade.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार आर0बी0एम0 की विक्री से अर्जित राजस्व को विभिन्न विभागों को दिया जाता है गत 10 वर्षों का विवरण संलग्न हैं। (संलग्नक–07)

IX. Detail of money deposited in SPV made in the previous approval and SMC works done so far may also be provided.

पूर्व स्वीकृत वन स्वीकृति की एस0पी0वी0 की धनराशि का विवरण व SMC कार्यों का विवरण संलग्न है। (संलग्नक—07)

जक्त आपित्तियों के संबंध में याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्नों को आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। संलग्न— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(बी.एस. शाहीं) प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

m